(364)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.3(615)नविवि/03/09 जयपुर, दिनांक 04.01.2010

आयुक्त/सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण/
जोधपुर विकास प्राधिकरण।

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

अध्यक्ष/सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

महोपौर/सभापति/अध्यक्ष
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/नगर पालिका
समस्त।

विषय :– स्थानीय निकायों के स्तर पर भूमि आवंटन पर रोक के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि स्थानीय निकायों के स्तर पर संस्थाओं/समाजों/व्यक्तियों को भूमि का आवंटन करने की कार्यवाही में पूर्व प्रकरणों का समुचित परीक्षण नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों को आर्थिक हानि की सम्भावना हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किये जाने प्रस्तावित है।

अतः उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों/संस्थाओं व अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में विकसित भूमि के आवंटन तथा लॉटरी/नीलामी द्वारा आवंटन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की भूमि के आवंटन प्राधिकरणों/न्यासों/निगमों/परिषदों/पालिकाओं/आवासन मण्डल के स्तर पर किये जाने पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है। यदि ऐसे प्रकरणों में आरक्षित दर/रियायती दर पर आवंटन किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित निकाय/बोर्ड की अभिशंषा सहित राज्य सरकार को प्रषित किया जावे। बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति ऐसे आवंटन नहीं किये जावें।

प्रमुख शासन सचिव

(123)